कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी,फर्रूखाबाद।

संख्या 6869 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 15 जुलाई , 2014

आदेश

जिले में कई ऐसे छोटे–बड़े वाहन चल रहे हैं, जिनके द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है और उनकी हालत रोड पर चलने लायक नहीं है। ऐसे वाहनों के पास न तो फिटनेश प्रमाण–पत्र है और न ही प्रदूषण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र यहां तक कि वाहन चालकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं रखा जा रहा है। ऐसे वाहनों से किसी भी समय कोई दुर्घटना होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक एवं परिवहन विभाग की घोर लापरवाही एवं उदासीनता की द्योतक है।

अतः सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी व यात्री कर अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जनपद में चल रहे ऐसे समस्त वाहनों के विरूद्व तत्काल कार्यवाही कर उनको सीज करें। इसके बाद यदि कोई वाहन बिना फिटनेश, प्रदूषण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेखों के रोड पर चलता पाया गया तो उक्त दोनों अधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुए कठोर कार्यवाही हेतु विवश होना पड़ेगा।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी व यात्री कर अधिकारी फर्रूखाबाद को अनुपालनार्थ।
4– सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5– जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को देनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।